ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एच-169, सैक्टर गामा।।, ग्रेटर नौएडा

पत्रांकः उ0मु0का0अ0/क0आ0 /2009/388
दिनांक.12.06.2009

आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.08.2003 को निर्मित भवनों की योजना अमलताश - 03 " पहले आओ , पहले पाओ" के सिद्धान्त पर प्रकाशित की गई गई थी। उक्त योजना में 92.7/220 वर्ग मी0 के 40 भवन, 150/200 वर्ग मी0 के 100 भवन तथा 40.6 वर्ग मी0 के 40 भवन कुल 180 भवन शामिल किये गये थे। इस योजना में 220 वर्ग मी0 के 30 भवन, 200 वर्ग मी0 के 42 भवन तथा 40.6 वर्ग मी0 के 35 भवन कुल 107 भवन आवंटित किये गये। औद्योगिक विकास अनुभाग,के पत्र दिनांक 08.09.2003 द्वारा दिनांक दिंनाक 01.08.2003 से दिनांक 29.08.2003 के मध्य किये गये सभी नियुक्ति/प्रोन्नति/आवंटन इत्यादि में अग्रेत्तर क्रियान्वयन रोके जाने के निर्देश पारित किए गए। तदक्रम में इस योजना में भी अग्रिम क्रियान्वयन रोक दिया गया। शासन के पत्र संख्या दिंनाक 09.02.2009 के क्रम में अमलताश - 03 योजना के क्रियान्वयन पर लगी रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत योजना को बहाल करने से पूर्व प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त योजना में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गयी है, और इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत इस योजना के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण स्तर पर पाई गई हो तो उसका निस्तारण करने के उपरान्त ही योजना बहाल करने पर निर्णय लिया जायेगा।

शासन के पत्र दिनांक 09.02.2009 के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28.05.2009 में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड में लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त योजना पर लगी रोक इस शर्त के साथ समाप्त की गई है कि आवंटियों से भुगतान मे हुए विलम्ब की अवधि का ब्याज ब्रोशर में उल्लिखत दर से लिया जाये, परन्तु इस अवधि का दण्ड ब्याज न लिया जाये।

उपरोक्तानुसार आवंटियों को सूचित कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

शैलेन्द्र चौधरी
(उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. महाप्रबन्धक(परि)/ महाप्रबन्धक (नियोजन)/ महाप्रबन्धक (वित्त)
3. समस्त प्रबन्धक (सम्पत्ति)
4. नोटिस बोर्ड

(उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी)